राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,भू जल विभाग, जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/ 221 जोधपुर, दिनांक:- 1/5/19

-:: परिपत्र ::-

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के कार्यालयों में कार्यरत राजसेवक अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन एवं सेवा सम्बन्धी मामलो के लिए राजनैतिक एवं गैर-राजनैतिक व्यक्तियो का प्रभाव डलवाते है। उनका यह आचरण कदाचार की संज्ञा में आता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम-1971 के नियम-24 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राजसेवक अपने सेवा सम्बन्धी कार्यो हेतु अपने उच्चाधिकारीयों पर राजनैतिक दबाव नही डलवायेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व मे भी परिपत्र कमांक प.4(1)नि/ए-3/72 दिनांक 8.1.73, प.4(6)नि/ए-3/78 दिनांक 26.10.78, प.4(6)कार्मिक/क-3/78 दिनांक 7.5.99 एवं प.4(6)कार्मिक/क-3 /78 दिनांक 17.05.2000 प्रसारित किये गये है जिसमे स्पष्ट निर्देश है कि जो राजसेवक राजनैतिक एवं अन्य प्रभाव सेवा सम्बन्धी मामलो में उपयोग मे लाते है, उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जावे और इसका अभिलेख रखा जावे। परन्तु वास्तविक रूप से इसकी पालना नही हो पाने के कारण राजकार्य को प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालन में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न होती है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं नियत्रंण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि यदि उनके कार्यालय का कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर अपने सेवा सम्बन्धी कार्यो हेतु राजनैतिक या अन्य प्रभाव डालने का प्रयास करते है तो उसे गंम्भीरता से लिया जावे तथा उनके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम-1971 के नियम-24 की अवहेलना करने के कारण उनके विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/ 221 जोधपुर, दिनांक:- 1/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भू जल विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
7. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता
भू जल विभाग,जोधपुर